



Neutral Citation No. – 2026:AHC:170783

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 725 वर्ष 2026

अमित सिंह उर्फ टिल्लू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : अरुण कुमार पटेल, प्रेम नारायण सिंह, राजेंद्र कुमार

सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : जयेंद्र जौहरी, रवि प्रकाश मिश्रा, यश मिश्रा, जी.ए.

न्यायालय संख्या – 67

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री अनिल श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण श्री अरुण कुमार पटेल, श्री प्रेम नारायण सिंह, श्री राजेंद्र कुमार सिंह और श्री सत्येंद्र नारायण सिंह कर रहे थे, प्रथम सूचनाकर्ता के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मिश्रा का पक्ष प्रस्तुत करते हुए श्री विशाल सिंह और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चंद्र शेखर सरन को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 268 वर्ष 2018, अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन सराय इनायत, जिला प्रयागराज में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता वयस्क महिला है और उसकी चिकित्सा रिपोर्ट बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक और उसके अधिवक्ता के बीच कुछ संचार संबंधी मतभेद के कारण वह काफी समय तक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और अब वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका उचित रूप से स्पष्टीकरण पहले से दायर पूरक शपथपत्र में दिया जा चुका है और आवेदक 16.11.2025 से जेल में दिन काट रहा है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने यह तर्क दिया है कि आवेदक लगभग सात वर्षों तक फरार रहा और उसके फरार रहने के कारण विचारण में देरी हुई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है, जो एक वयस्क महिला है। पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है। यह भी निवेदन है कि अभियुक्त और उसके अधिवक्ता के बीच कुछ संचार संबंधी मतभेद के कारण वह काफी समय तक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन अब वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यह भी निवेदन है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका उचित रूप से स्पष्टीकरण पहले से दायर पूरक शपथपत्र में दिया जा चुका है और वह 16.11.2025 से जेल में दिन काट रहा है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबितता होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिवेदित, के मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन को **स्वीकार किया जाता है।**

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **अमित सिंह उर्फ टिल्लू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने के लिए नीति रणनीति, अंतर्गत संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, निर्णीत दिनांक 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रतिवेदित किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, प्रयागराज के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

13 अगस्त 2026

आरकेएम

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”